HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1433/2026

Kailapati Alias Kailadevi W/o Rajendra Singh, Aged About 61 Years, Resident Of Ramsara Tibba, Police Station sidhmukh, District Churu.
(At Present Lodged In Mahila Bal Sudhar Grah, Bikaner)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kaushal Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Hathi Singh Jodha, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

10/03/2026

प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना सिद्धमुख, चुरू में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 165/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 126(2) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थिया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता निर्दोष है। प्रार्थिया/अभियुक्ता 61 वर्षीय महिला है तथा 12.01.2026 से अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थिया/अभियुक्ता पर फतेहसिंह के सरीये से चोट मारना घटना की रिपोर्ट से बताया है, परंतु सरीया उससे बरामद नहीं हुआ है। प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी संदीप ने धारा 180 बीएनएसएस के बयान में प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा केवल मात्र थाप–मुक्कों से फतेहसिंह के साथ मारपीट करना बताया है। इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त राकेश है, जिसने पाईप से फतेहसिंह उर्फ गुलजारी लाल के चोट मारी जो प्राणघातक थी। सहअभियुक्त राकेश के कब्जे से ही

स्टील का पाईप बरामद हुआ है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता ने पहले फतेहसिंह के सरिये की मारी, उसको पकड़ लिया फिर राकेश ने सिर पर कुलहाड़ी की मारी। फतेहसिंह अभी भी कोमा में है और बयान देने की स्थिति में नहीं है। अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थिया/अभियुक्ता 61 वर्षीय महिला है तथा दिनांक 12.01.2026 से अभिरक्षा में है। घटना की रिपोर्ट में प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा फतेहसिंह के सरिये से चोट मारना बताया है, परंतु प्रार्थिया/अभियुक्ता से सरिया जब्त नहीं हुआ है। चक्षुदर्शी साक्षी संदीप ने प्रार्थिया/अभियुक्ता द्वारा फतेहसिंह के साथ थाप–मुक्कों से मारपीट किया जाना बताया है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, उसके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थिया/अभियुक्ता की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थिया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थिया/अभियुक्ता **कैलापति उर्फ कैलादेवी पत्नी राजेंद्र सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थिया इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व

पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

62-ajaykumar/-